

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या 259/2016/225 आरटीए

1. विद्यादेवी पुत्री मंगलाराम पत्नि बलवीर जाति ब्राह्मण निवासी दडौली तहसील आदमपुर मण्डी जिला हिसार।
2. परमेश्वरी पुत्री मंगलाराम पत्नि औमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी बुढसखेड़ा तहसील उकलाना जिला हिसार।
3. बलवंत पुत्र ओमप्रकाश पुत्र मंगला जाति ब्राह्मण निवासी ढाणी सांथला तहसील भूना जिला फतेहबाद हरियाणा।
4. विष्णु पुत्र ओमप्रकाश पुत्र मंगला जाति ब्राह्मण निवासी ढाणी सांथला तहसील भूना जिला फतेहबाद हरियाणा।
5. बिशम्बर पुत्र ओमप्रकाश पुत्र मंगला जाति ब्राह्मण निवासी ढाणी सांथला तहसील भूना जिला फतेहबाद हरियाणा।
6. रामकलां पि० ओमप्रकाश पुत्र मंगला जाति ब्राह्मण निवासी ढाणी सांथला तहसील भूना जिला फतेहबाद हरियाणा।
7. रामप्यारी पि० ओमप्रकाश पुत्र मंगला जाति ब्राह्मण निवासी ढाणी सांथला तहसील भूना जिला फतेहबाद हरियाणा।
8. कृष्णा पत्नि जगदीश पुत्र मंगला जाति ब्राह्मण निवासी ढाणी सांथला तहसील भूना जिला फतेहबाद हरियाणा।
9. राजेन्द्र पुत्र जगदीश पुत्र मंगला जाति ब्राह्मण निवासी ढाणी सांथला तहसील भूना जिला फतेहबाद हरियाणा।
10. मोहन पुत्र जगदीश पुत्र मंगला जाति ब्राह्मण निवासी ढाणी सांथला तहसील भूना जिला फतेहबाद हरियाणा।
11. सोनू पुत्र जगदीश पुत्र मंगला जाति ब्राह्मण निवासी ढाणी सांथला तहसील भूना जिला फतेहबाद हरियाणा।
12. कौशल्या पुत्री जगदीश पत्नि सुनिल पुत्र बनवारी जाति ब्राह्मण निवासी लुहानी तहसील कैरू जिला भिवानी हरियाणा।
13. मीना पुत्री जगदीश पत्नि प्रेमकुमार पुत्र किशनलाल जाति ब्राह्मण निवासी गुरुनानक बस्ती रेलवे स्टेशन के सामने संगरिया।
14. गीता पत्नि रामकिशन पुत्र मंगला जाति ब्राह्मण निवासी साथला।
15. प्रभु पुत्र रामकिशन पुत्र मंगला जाति ब्राह्मण निवासी शर्मा मेडिकल सैन्टर पुराने बस स्टेण्ड के पीछे भूना जिला फतेहबाद।

16. सुनिता पत्नि रोहताश पुत्र रामकिशन जाति ब्राह्मण मार्फत बजरंगलाल शर्मा ढाणी माउवाला वाले निवासी मईयड जिला हिसार।
17. सचिन पुत्र रोहताश पुत्र रामकिशन जाति ब्राह्मण मार्फत बजरंगलाल शर्मा ढाणी माउवाला वाले निवासी मईयड जिला हिसार।
18. रविना पुत्री रोहताश पुत्र रामकिशन जाति ब्राह्मण मार्फत बजरंगलाल शर्मा ढाणी माउवाला वाले निवासी मईयड जिला हिसार।
19. कमला पत्नि मदन पुत्र रामकिशन जाति ब्राह्मण निवासी ढाणी साथला।
20. मुकेश पुत्र मदन पुत्र रामकिशन जाति ब्राह्मण निवासी ढाणी साथला।
21. सरोज पुत्री मदन पत्नि दयानंद जाति ब्राह्मण निवासी ढाणी साथला।
22. सुनीता पुत्री मदन पत्नि विधासागर जाति ब्राह्मण निवासी ढाणी साथला।
23. सरस्वती पुत्री रामकिशन पत्नि धनपत जाति ब्राह्मण निवासी जगाण तहसील अग्रोहा जिला हिसार।
24. कल्लो पुत्री रामकिशन पत्नि रामपत जाति ब्राह्मण निवासी जगाण।
25. शारदा पुत्री रामकिशन पत्नि ..... जाति ब्राह्मण निवासी दौलतराम जिला फतेहबाद।
26. प्रेम पुत्र रामकिशन पत्नि .....जाति ब्राह्मण निवासी दौलतराम जिला फतेहबाद।
27. सावित्री बेवा हरचंद पुत्र चेताराम जाति ब्राह्मण निवासी सांथला।
28. सत्यनारायण पुत्र हरचंद जाति ब्राह्मण निवासी ढाणी सांथला तहसील भूना जिला फतेहबाद हरियाणा।
29. सुभाष पुत्र हरचंद जाति ब्राह्मण निवासी ढाणी सांथला तहसील भूना जिला फतेहबाद हरियाणा।
30. नेकीराम पुत्र हरचंद जाति ब्राह्मण निवासी ढाणी सांथला तहसील भूना जिला फतेहबाद हरियाणा।
31. सुल्तान पुत्र हरचंद जाति ब्राह्मण निवासी ढाणी सांथला तहसील भूना जिला फतेहबाद हरियाणा।
32. रामकिशन पुत्र हरचंद जाति ब्राह्मण निवासी ढाणी सांथला तहसील भूना जिला फतेहबाद हरियाणा।
33. सुशीला पुत्री हरचंद जाति ब्राह्मण निवासी ढाणी सांथला तहसील भूना जिला फतेहबाद हरियाणा।
34. सुनहरी पुत्री हरचंद पत्नि रामेश्वर जाति ब्राह्मण निवासी उमेदपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा।

35. कृष्णा पुत्री सेवाराम पत्नि जगदीश जाति ब्राहमण (चमारखेडा वाले) निवासी ऋषिनगर हिसार।
36. कृष्णा पुत्री हरफूल पुत्र जैसाराम पत्नि राजेन्द्रप्रसाद जाति ब्राहमण निवासी लहरी तहसील भूना।
37. सावित्री पुत्र अमीलाल पुत्र जैसा पत्नि रामेश्वर पुत्र हनुमानप्रसाद जाति ब्राहमण निवासी गांधी बडी तहसील भादरा।
38. विद्या पुत्री अमीलाल पत्नि ओमप्रकाश पुत्र हनुमान प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी गांधी बडी तहसील भादरा।
39. कमला पुत्र अमीलाल पत्नि रणजीत पुत्र हनुमानप्रसाद जाति ब्राहमण निवासी गांधी बडी तहसील भादरा।
40. सोनू उर्फ सुनिल पुत्र इन्द्र पुत्र अमीलाल जाति ब्राहमण निवासी मुसलमानो का मोहल्ला भूना।
41. दुर्गा पत्नि रामप्रताप पुत्र जैसाराम जाति ब्राहमण निवासी ढाणी सांथला तहसील भूना।
42. सुरेन्द्र पुत्र रामप्रताप पुत्र जैसाराम जाति ब्राहमण निवासी ढाणी सांथला तहसील भूना।
43. धर्मपाल पुत्र रामप्रताप पुत्र जैसाराम जाति ब्राहमण निवासी ढाणी सांथला तहसील भूना।
44. उमरावसिंह पुत्र रामप्रताप पुत्र जैसाराम जाति ब्राहमण निवासी ढाणी सांथला तहसील भूना।
45. सन्तोष पुत्री रामप्रताप पत्नि बलजीत पुत्र अमीलाल जाति ब्राहमण निवासी लहरी तहसील भूना।
46. महेन्द्र देवी पुत्री रामप्रताप पत्नि ईश्वर शर्मा निवासी अदाणी तहसील टोहाना जिला फतेहबाद।
47. राजबाला पुत्री रामप्रताप पत्नि विजय पुत्र जगदीश जाति ब्राहमण निवासी जुई तहसील कैरू जिला भिवानी।
48. भतेरी पुत्री रामप्रताप पत्नि राजू पुत्र जगदीश जाति ब्राहमण निवासी जुई तहसील कैरू जिला भिवानी।
49. अशोक पि०मु० धर्म पत्नि मनीराम जाति ब्राहमण निवासी अयाणी तहसील टोहाना जिला फतेहबाद सभी अपीलांट का मुख्यारआम रामप्रसाद पुत्र हरचंद पुत्र चेताराम जाति ब्राहमण निवासी ढाणी सांथला तहसील भूना जिला फतेहबाद हरियाणा।
50. रवि पि०मु० धर्म पत्नि मनीराम जाति ब्राहमण निवासी अयाणी तहसील टोहाना जिला फतेहबाद सभी अपीलांट का मुख्यारआम रामप्रसाद पुत्र हरचंद पुत्र चेताराम जाति ब्राहमण निवासी ढाणी सांथला तहसील भूना जिला फतेहबाद हरियाणा।
51. रामप्रसाद पुत्र हरचंद पुत्र चेताराम जाति ब्राहमण निवासी ढाणी सांथला तहसील भूना जिला फतेहबाद हरियाणा।

—: बनाम :-

1. शिवलाल पुत्र गोपाल पुत्र धनमुख जाति ब्राहमण निवासी शेरड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ ।
2. गजानन्द पुत्र रामेश्वर पुत्र गोपाल पुत्र धनसुख जाति ब्राहमण निवासी शेरड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ ।
3. रणजीत पुत्र रामेश्वर पुत्र गोपाल पुत्र धनसुख जाति ब्राहमण निवासी शेरड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ ।
4. लीलाधर पुत्र केसुराम जाति ब्राहमण निवासी शेरड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ ।
5. मागेराम पुत्र केसुराम जाति ब्राहमण निवासी शेरड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ ।
6. निहालसिंह पुत्र सुखदेव पुत्र बेगराज जाति ब्राहमण निवासी शेरड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ ।
7. जगदीश पुत्र सुखदेव पुत्र बेगराज जाति ब्राहमण निवासी शेरड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ ।
8. पुनम पुत्र सुखदेव पुत्र बेगराज जाति ब्राहमण निवासी शेरड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (फौत)
- 8/1 निर्मला पत्नि पुनम पुत्र सुखदेव पुत्र बेगराज जाति ब्राहमण निवासी शेरड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ ।
- 8/2 भागीरथ पुत्र पुनम पुत्र सुखदेव पुत्र बेगराज जाति ब्राहमण निवासी शेरड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ ।
- 8/3 दलीप पुत्र पुनम पुत्र सुखदेव पुत्र बेगराज जाति ब्राहमण निवासी शेरड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ ।
- 8/4 लक्ष्मीनारायण पुत्र पुनम सुखदेव पुत्र बेगराज जाति ब्राहमण निवासी शेरड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ ।
- 8/5 सरोज पुत्री पुनम पुत्र सुखदेव पुत्र बेगराज जाति ब्राहमण निवासी शेरड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ ।
- 8/6 लक्ष्मी पुत्री पुनम पुत्र सुखदेव पुत्र बेगराज जाति ब्राहमण निवासी शेरड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ ।
9. महेन्द्र पुत्र सुखदेव पुत्र बेगराज जाति ब्राहमण निवासी शेरड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ ।

10. कमला पत्नि सेवाराम पुत्र चेताराम जाति ब्राहमण निवासी मार्फत जय श्रीराम इलैक्ट्रॉनिक्स मैन बाजार लूणकरणसर जिला बीकानेर।
11. सोहनलाल पुत्र सेवाराम पुत्र चेताराम जाति ब्राहमण निवासी मार्फत जय श्रीराम इलैक्ट्रॉनिक्स मैन बाजार लूणकरणसर जिला बीकानेर।
12. दलीप पुत्र सेवाराम पुत्र चेताराम जाति ब्राहमण निवासी मार्फत जय श्रीराम इलैक्ट्रॉनिक्स मैन बाजार लूणकरणसर जिला बीकानेर।
13. दर्शना पुत्री सेवाराम जाति ब्राहमण निवासी मार्फत जय श्रीराम इलैक्ट्रॉनिक्स मैन बाजार लूणकरणसर जिला बीकानेर।
14. रामेती पुत्री सेवाराम जाति ब्राहमण निवासी मार्फत जय श्रीराम इलैक्ट्रॉनिक्स मैन बाजार लूणकरणसर जिला बीकानेर।
15. कृष्ण पुत्र इन्द्र पुत्र अमीलाल जाति ब्राहमण निवासी मुसलमानो का मौहल्ला भूना तहसील भूना।
16. सुनीता पत्नि पुरुषोत्तम पुत्र इन्द्रा जाति ब्राहमण निवासी मुसलमानो का मौहल्ला भूना तहसील भूना।
17. फरूल पुत्र पुरुषोत्तम पुत्र इन्द्रा जाति ब्राहमण निवासी मुसलमानो का मौहल्ला भूना तहसील भूना।
18. सुनिल पुत्र पुरुषोत्तम पुत्र इन्द्रा जाति ब्राहमण निवासी मुसलमानो का मौहल्ला भूना तहसील भूना।
19. पुनमचन्द पुत्र लिछमा पत्नि हनुमान जाति ब्राहमण निवासी नजदीक केके धर्मकांटा सुजानगढ़ तहसील सुजानगढ़।
20. महावीर पुत्र लिछमा पत्नि हनुमान जाति ब्राहमण निवासी नजदीक केके धर्मकांटा सुजानगढ़ तहसील सुजानगढ़।
21. कैलाश पुत्र लिछमा पत्नि हनुमान जाति ब्राहमण निवासी नजदीक केके धर्मकांटा सुजानगढ़ तहसील सुजानगढ़।
22. गजानन्द पुत्र लिछमा पत्नि हनुमान जाति ब्राहमण निवासी नजदीक केके धर्मकांटा सुजानगढ़ तहसील सुजानगढ़।
23. जगदीश पुत्र लिछमा पत्नि हनुमान जाति ब्राहमण निवासी नजदीक केके धर्मकांटा सुजानगढ़ तहसील सुजानगढ़।
24. रामचन्द उर्फ रामतार पुत्र लिछमा पत्नि हनुमान जाति ब्राहमण निवासी लाडनू बस स्टेण्ड के पास चौरडिया बास सुजानगढ़।
25. दुर्गादत्त पुत्र लिछमा पत्नि हनुमान जाति ब्राहमण निवासी बारीबास पानी की टंकी के पास सुजानगढ़।

26. राधा पत्नि राजेन्द्र पुत्र लिछमा पत्नि हनुमान जाति ब्राहमण निवासी जैन बाहुबली मन्दिर के पास सुजानगढ़।
27. आनन्द पुत्र राजेन्द्र पुत्र लिछमा पत्नि हनुमान जाति ब्राहमण निवासी जैन बाहुबली मन्दिर के पास सुजानगढ़।
28. बजरंग उर्फ जय पुत्र राजेन्द्र पुत्र लिछमा पत्नि हनुमान जाति ब्राहमण निवासी जैन बाहुबली मन्दिर के पास सुजानगढ़।
29. भागीरथ उर्फ विजय पुत्र राजेन्द्र पुत्र लिछमा पत्नि हनुमान जाति ब्राहमण निवासी जैन बाहुबली मन्दिर के पास सुजानगढ़।
30. बेबी पुत्री राजेन्द्र पुत्र लिछमा पत्नि हनुमान जाति ब्राहमण निवासी जैन बाहुबली मन्दिर के पास सुजानगढ़।

—तरतीबी रेसपो0

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 30.11.2015 न्यायालय सहायक कलैक्टर (फास्ट ट्रेक)

भादरा प्र0सं0 83/2014 अनवानी शिवदयाल आदि बनाम विद्या आदि

श्री भागीरथ देहडू अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता रेसपो सं. 2,3, 5 व 9

निर्णय

दिनांक —26.04.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि रेसपो0 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद पेश किया जिसके साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश किया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दिनांक 26.09.2014 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला दावा कन्फर्म किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश बिना किसी सुनवाई के एकपक्षीय तौर से नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध तथा गैर कानूनी तरीके से पारित किया गया है। राजस्व रिकार्ड मे मंगला पुत्र श्रीराम, चेतु व जैसा पित्र हरद्वारी 1/2 हिस्सा के तथा दुनी, केसू, सुखदेवा पि0 बेगा 1/4 हिस्से बहिब व गोपाल पुत्र धनसुख का 1/4 होना सम्वत 2000 की खतौनी दरमियानी मे दर्ज होना साबित है। स्वयं रेसपो0 ने अपने प्रार्थना पत्र की मद सं. 3 मे उक्त तथ्यों को स्वीकार किया है

इसके अलावा रेस्पो0 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र की मद सं. 4 में जो तथ्य दर्ज किये हैं वे कतई निराधार हैं। हरद्वारी हमेशा अपने हिस्से की भूमि को स्वयं काशत करता रहा है तथा सन् 1924 में कोई समझौता अपीलान्ट व असल रेस्पो0 बीच में नहीं हुआ। विचारण न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्य के बिना तथा किसी समझौता पत्र के प्रस्तुत किये बिना विधि विरुद्ध निर्णय पारित किया है। वाद भूमि के संबंध में सहायक कलैक्टर नोहर में दिनांक 18.09.1974 को मगला आदि बनाम केसू आदि के नाम से वाद सं. 80 प्रस्तुत किया गया था जो दिनांक 15.03.1983 को अबैत होना माना है परन्तु इसके अलावा विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 ने तथ्य छुपाये हैं तथा रेस्पो0 के पक्ष में सहायक कलैक्टर भादरा द्वारा निर्णय वाद भूमि का डिक्री हुआ है जिसके विरुद्ध रेस्पो0 ने राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ के समक्ष शिवलाल बनाम महावीर अपील प्रस्तुत की उक्त अपील में पूर्व स्थगन आदेश था। उक्त स्थगन आदेश शिवलाल ने खारिज करवा लिया तथा उक्त अपील में आदेश 41 नियम 19 की रेस्टोरेशन बाबत प्रार्थना पत्र रेस्पो0 शिवलाल ने स्वयं पेश कर रखा है। जबकि पूर्व डिक्री व अपील के खारिज होने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय को प्रार्थना पत्र रेस्पो. स्वीकार करने का कोई क्षेत्राधिकार हासिल नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन व अपूर्ण्य क्षति का प्रश्न तीनों पर कोई बिन्दुवार निर्णय नहीं दिया है जबकि प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलान्ट के पक्ष में था। अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पो0 वादभूमि के रिकार्डेड खातेदार काशतकार थे। चूंकि एक रिकार्डेड खातेदार के विरुद्ध दूसरे सहखातेदार काशतकार के द्वारा या पक्ष में कानूनी तौर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं करवाई जा सकती। इसके अलावा अपूर्ण्य क्षति का प्रश्न किसी सहखातेदार काशतकार को अकारण पाबंद करना गैर कानूनी है। अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस के समर्थन में आरआरटी 2015(1) पेज 633 न्यायिक दृष्टान्त पेश किये। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुये कथन किया कि रेस्पोंडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि के संबंध में दावा प्रस्तुत कर इसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश किया गया। वादग्रस्त भूमि पुरानी पुश्तैनी खातेदारी भूमि है। अप्रार्थीगण/अपीलांत व तरतीबी रेस्पोंडेंट का नाम जमाबंदी के अंकनो में मंगला वल्द श्रीराम वल्द चेतू जैसा वल्द हरद्वारी बहिस्सा बराबर 583 हिस्सा दर्ज है जो आगे इन्तकाल 1956 में अप्रार्थीगण 25 से 27 सावित्री आदि के 97/1/6 हिस्सा व कमला आदि अप्रार्थीगण सं. 36 से 41 के 97/1/6 हिस्सा तथा मंगलाराम आदि के 388/2/3 हिस्सा दर्ज किया गया जो प्रार्थीगण के हक पर निष्प्रभावी है। उक्त 583 हिस्सा में प्रार्थी सं. 1 शिवलाल 1/4 भाग, प्रार्थीगण 2 व 3 बहिस्सा बराबर 1/4 भाग, प्रार्थी सं. 4 व 5 बहिस्सा बराबर 1/6 भाग, प्रार्थी सं. 6 से 9 बहिस्सा बराबर 1/6 भाग, तरतीबी प्रतिवादी सं. 73 से 79 का संयुक्त रूप से 1/12 भाग, प्रतिवादी सं. 80 से 87 का संयुक्त रूप से 1/12 भाग के खातेदार काश्तकार है व इसी अनुसार खाता हाजा में दर्ज करवाने के हकदार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो सही है। अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने अपनी बहस के समर्थन में आरआरडी 2002 पेज 744, आरआरडी 1993 पेज 206, आरआरडी 1987 पेज 426, आरआरडी 1965 पेज 120, आरआरडी 1974 पेज 513 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांत खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।
5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन निर्णय में उल्लेखित किया गया है कि “प्रार्थीगण के प्रस्तुत सजरा खानदान के अनुसार पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्यगण है तथा प्रार्थीगण का उक्त वादभूमि में हक हिस्सा बनता है या नहीं इसका निर्णय मूल वाद में होना। इसलिये प्रस्तुत दस्तावेजात एवं रिकार्ड के अवलोकन के

आधार पर प्रथम दृष्टयां प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में बनना पाये जाने के कारण अस्थाई निषेधाज्ञा के दूसरे व तीसरे बिन्दू सुविधा का सन्तुलन व अपूर्ण्य के विवेचन की आवश्यकता नहीं है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा का अन्तर्गत धारा 212 आरटीए का प्रार्थना पत्र में आदेश दिनांक 26.09.2014 को ताफैसला दावा कन्फर्म किया जाता है।" वादग्रस्त भूमि जो अपीलांट एवं रेस्पों के नाम से दर्ज है, रेस्पों/वादीगण का हक हिस्सा बनता है या नहीं, इसका निर्धारण मूल वाद में दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूतों के आधार पर किया जाना है, परन्तु जब तक वादग्रस्त भूमि के संबंध में मूल वाद का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक वादग्रस्त भूमि मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखा जाना आवश्यक है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय के जरिये प्रार्थना पत्र रेस्पों स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुये दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर पारित अपीलाधीन निर्णय में बिना किसी प्रक्रियात्मक या विधिक त्रुटि के हस्तक्षेप किया जाना न्यायसंगत नहीं होने के कारण अपील अपीलांट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय की पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 83/2014 अनवानी शिवलाल आदि बनाम विद्या आदि में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.11.2015 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 26.04.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस.  
राजस्व अपील अधिकारी  
हनुमानगढ़